राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33 / रेडियो. / एम–97 II / 2019 / 333 दिनाक : 26/9/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारीं को उनके नामो के सम्मुख अंकित परीक्षा सत्र 2018–2019 में स्वयंपाठी के रूप मे सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है :–

क.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा	संस्था का नाम
1	सुश्री तनुजा गवारिया सहायक रेडियोग्राफर	कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर	बीएससी पार्ट द्वितीय 2019	जेएनयू जयपुर।

1 शिक्षण सस्थान मे अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वत. ही समाप्त मानी जावेगी।

2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्यन जारी रखने एवं परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8 अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का, प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

10 प्रशासनिक कारणो से लोकहित / राज्यहित में स्वीकृति / अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।

11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।

12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।

13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जावेगा।

14 राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

D.No-333 26.9.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
2. अधीक्षक, कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर